सरयू राय
मंत्री
संसदीय कार्य–सह
खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

कार्यालय :-
झारखण्ड मंत्रालय
प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची
आवास : एफ–टाईप, पी॰डब्लू॰डी॰ (IB)
डोरण्डा, राँची
मो॰ : 9431114466

पत्रांक आ॰खा॰/234/17

दिनांक 22-11-2017

22/11/2017

माननीय मुख्यमंत्री,
झारखंड सरकार, राँची.

कल २१ नवम्बर २०१७ को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मैंने स्पष्ट किया था कि कार्य सूची के मद संख्या ७ पर मेरी सहमति नहीं है. यह विषय दिनांक ७ नवंबर २०१७ की मंत्रिपरिषद बैठक में मद संख्या ४ पर था. उस दिन मैंने जानना चाहा था कि महान भारत प्रतिभा संस्थान (Great India Talent Foundation) नामक जिस संस्था को राज्य सरकार राँची जिला के अंचल– बुंडू, मौजा– दामी के खाता संख्या– १०१, प्लॉट संख्या– ६०४,६०७,३६ एवं १२६ की कुल ६२.२६ एकड़ गैरमजरुआ खास जमीन एक रुपया टोकन शुल्क पर देना चाहती है, उस संस्था के बारे में कोई जानकारी मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत संकल्प में नहीं है जिससे संस्था की प्रशासनिक, वित्तीय एवं सांगठनिक साख का पता चल सके.

गत 7 नवम्बर की बैठक में भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा कैबिनेट में प्रस्तुत संकल्प में संस्था को ३० वर्षों के लिये लीज बंदोबस्ती सशुल्क करने का प्रस्ताव था. जिसे आपके द्वारा १/– टोकन पर जमीन बंदोबस्ती कर देने की बात कही गयी. तय हुआ कि यह प्रस्ताव कैबिनेट की आगे की किसी बैठक में उपस्थापित किया जाय और संकल्प के साथ पूरा तथ्य मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाय. तदनुसार आज दिनांक २१ नवंबर २०१७ को हुई बैठक में इसे फिर लाया गया. आश्चर्य है कि कैबिनेट की इस बैठक में सशुल्क जमीन टैलंट फाउंडेशन को देने का पुराना प्रस्ताव ही हू–ब–हू राजस्व विभाग ने संकल्प के रुप में रख दिया और आपने भी पूर्व की तरह ही १/– टोकन पर इस जमीन को निःशुल्क देने का प्रस्ताव रख दिया जिसपर सबसे पहले माननीय मंत्री श्री सी पी सिंह ने असहमति व्यक्त किया. फिर मैंने भी अपना तर्क रखा.

राजस्व मंत्री श्री अमर बाउरी ने पहले ही विभाग की ओर से सशुल्क प्रस्ताव मंजूर किया था. मंत्रिपरिषद के किसी अन्य सदस्य ने भी इस पर सहमति या असहमति नहीं व्यक्त किया. आश्चर्यजनक रुप से मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के सचिव फाउंडेशन को ६२.२६ एकड़ जमीन की लीज बंदोबस्ती निःशुल्क करने के पक्ष में कैबिनेट के सामने दलील दे रहे थे और फाउंडेशन के बारे में तथ्य से परे अपुष्ट जानकारियां कैबिनेट के समक्ष परोस रहे थे. मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के सचिव का कैबिनेट की मीटिंग मे उपस्थित रहने का औचित्य क्या है, इनकी भूमिका क्या होनी चाहिये और वहाँ इनकी उपस्थिति की सीमा–मर्यादा क्या होनी चाहिये इस बारे में आप मुझसे बेहतर जानते हैं. इसका ध्यान रखा जाना चाहिये.

email : saryuroy@gmail.com/info@saryuroy.in/वेबसाईट – www.saryuroy.in

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक ७ नवम्बर की बैठक में जब इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर आगे की बैठक में लाने का निर्णय हुआ तो विचार के मुख्यतः दो बिन्दु थे. १) ६२.२६ एकड़ जमीन प्रासंगिक संस्था को नामांकन के आधार पर देने का औचित्य क्या है? २) नामांकन पर देना है तो सशुल्क देना है या निःशुल्क? कायदे से कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव वापस किये जाने के बाद दोनों बिन्दुओं पर विचार होना चाहिये था. इस बारे में मैंने एक पत्र भी इस बीच माननीय राजस्व मंत्री को भेजा था. परंतु इन बिन्दुओं पर विचार किये बिना पुनः पहले का ही संकल्प प्रस्ताव हू–ब–हू राजस्व विभाग ने कैबिनेट को सौंप दिया. इसका मतलब है कि राजस्व मंत्री नहीं चाहते कि पूर्व के संकल्प में कोई परिवर्तन हो.

कोई विषय कैबिनेट के समक्ष स्वीकृति के लिये किसी विभाग द्वारा उपस्थापित किया जाता है तो उसकी विहित प्रक्रिया होती है. इस प्रक्रिया के तहत संबंधित विभाग के प्रासंगिक प्रस्ताव पर वित्त विभाग, विधि विभाग की सहमति प्राप्त की जाती है, तब मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री की सहमति के उपरांत प्रस्ताव को कैबिनेट के समझ स्वीकृति हेतु कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से विचारार्थ मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करता है. इस विषय में इस विहित प्रक्रिया का अनुपालन किस प्रकार हुआ है? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सशुल्क बंदोबस्ती का प्रस्ताव भेजा. वित्त एवं विधि विभाग ने सशुल्क बंदोबस्ती के प्रस्ताव पर सहमति दिया. विधि और वित्त विभाग के मंत्री के रुप में आपने स्वयं सशुल्क बंदोबस्ती के प्रस्ताव पर मुहर लगाया. मुख्य सचिव ने प्रस्ताव की संचिका कैबिनेट सचिवालय मे भेजे जाने के क्रम में सशुल्क बंदोबस्ती के प्रस्ताव पर सहमति दिया. मुख्यमंत्री के नाते आपने उसे संपुष्ट किया. राजस्व विभाग के मंत्री ने भी सशुल्क बंदोबस्ती के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया. ७ नवम्बर की कैबिनेट में जब प्रस्ताव वापस किया गया और तथ्यपूर्ण विवरण के साथ पुनः उपस्थापित करने का निर्णय हुआ तो सवाल उठता है कि, विहित प्रक्रिया में शामिल किसी भी स्तर पर इस प्रस्ताव में सशुल्क से निःशुल्क बदलाव की बात क्यों नहीं उठायी गयी?

७ नवंबर २०१७ की कैबिनेट बैठक के बाद संचिका वापस राजस्व विभाग गई तो राजस्व विभाग ने न तो संचिका में अतिरिक्त तर्क, तथ्य और तर्क रखा और न ही पूर्व के सशुल्क प्रस्ताव को बदलकर लीज बंदोबस्ती निःशुल्क करने का प्रस्ताव दिया. माननीय राजस्व मंत्री ने भी इसपर मुहर लगाया. कैबिनेट में संकल्प आने के पूर्व संचिका मुख्य सचिव के पास से गुजरी तो जिस सक्रियता के साथ उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में लीज बंदोबस्ती को निःशुल्क करने की वकालत की उसी भाँति संचिका में इस आशय का अपना मंतव्य अंकित करने की बुद्धिमत्ता एवं साहस का परिचय उन्होंने क्यों नहीं दिया? तदुपरांत संचिका आपके पास से पुनः स्वीकृति के लिये गुजरी होगी. उस समय आपके सचिव, जो निःशुल्क बंदोबस्ती की वकालत कर रहे थे, को यही सलाह देकर संचिका में निःशुल्क लीज बंदोबस्ती का मंतव्य आपसे अंकित कराना चाहिये था और कैबिनेट संकल्प को तदनुरुप संशोधित कराना चाहिये था. पर ऐसा नहीं हुआ. आपने, मुख्य सचिव ने या किसी ने अपने स्तर पर निःशुल्क लीज बंदोबस्ती का मंतव्य नहीं दिया और कहा कि बंदोबस्ती सशुल्क होगी, संस्था पहले ६ करोड ४६ लाख रुपया जमा करेगी. बाद में सालाना लीज शुल्क अदा करे.

मामला कैबिनेट में लाकर सबकी जिम्मेदारी कैबिनेट के मत्थे मढ़ने का क्या अर्थ है? इस मामले में विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री को छोड़कर अन्य किसी भी मंत्री को वस्तुस्थिति के

Scanned with OKEN Scanner

विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी नहीं है. जिन्हें जानकारी है उन्होंने अपने स्तर पर सशुल्क बंदोबस्ती का मंतव्य दिया है और कैबिनेट से कहा जा रहा है कि हमारे पूर्व के मंतव्य को बदलकर कैबिनेट सशुल्क को निःशुल्क कर दे. यह न तो न्यायोचित है, न विधिसम्मत है और न पारदर्शी है. यह एक नीतिगत विषय है जिसपर राज्यहित और जनहित में गहन विचार होना चाहिये, तदनुसार महत्तम राज्यहित और जनहित में निर्णय लिया जाना चाहिये.

नीति कहती है कि गुरू की, मंत्री की और वैद्य की उचित सलाह का आदर होना चाहिये और इसे माना जाना चाहिये. अतः मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस विषय पर कैबिनेट का निर्णय स्थगित रखा जाय और सम्यक् विचारोपरांत उचित निर्णय लिया जाय. ऐसा नहीं हो तो इस निर्णय पर मेरी असहमति अंकित की जाय.

सादर,

भवदीय

22.11.2017

सरयू राय

Scanned with OKEN Scanner